<u>कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी</u>

<u>प्रेस-नोट</u>

<u>दिनांकः-24-09-2024</u>

<u>विषयः- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त फागू को गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल- 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

थाना-रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 230/2000 धारा- (3) 1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **फागू पुत्र शिवदास निवासी चौदीहार थाना मुगलसराय जनपद चंदौली** को <u>थाना-रामनगर</u> पुलिस व <u>मॉनीटरिंग सेल</u> के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 24-09-2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- (3) 1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी